



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकर)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 34-अ0प्र0(23) / पा0का0लि0 / 2016

दिनांक: 22 जून, 2016

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिकारी अभियन्ता (वै0 एवं यां0) को अधीक्षण अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्त किया जाता है तथा स्तम्भ सं0-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-4 में उल्लिखित निगम को आबण्टित किया जाता है। उक्त अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से स्थानापन्न अधीक्षण अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर नियुक्त होंगे :-

क्र0 सं0	नाम/अभि0 संख्या/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनाँक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	प्रोन्ति के पश्चात पदनाम एवं तैनाती कार्यालय/आबण्टित निगम
1	2	3	4
1.	श्री विपिन जैन 88144 / मेरठ / 31.12.2021	अधिकारी अभियन्ता (सम्बद्ध) प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ	मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लखनऊ

- 2- उपरोक्त अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्त किया जाता है कि किन्हीं कारणवश निदेशक के पद पर नियुक्त पाकालि संवर्ग के अधिकारी की अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने की स्थिति में कनिष्ठतम अधीक्षण अभियन्ता, (वै0 एवं यां0), अधिकारी अभियन्ता, (वै0 एवं यां0) के पद पर स्वतः प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
- 3- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनाँक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- 4- सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
- 5- उपर्युक्त प्रोन्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- 6- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनाँक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
- 7- उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 34-अ0प्र0(23) / पा0का0लि0 / 2016 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समर्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0न्समिशन का0लि0।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,
Yuma
(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव